

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ
संख्या—एम०ई०-३/२०१६/२१७७ लखनऊ: दिनांक १६ अगस्त २०१६

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T.) २०१६ के संबंध में आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या—१०९०/७१—२—१६—१२७/२०११ दिनांक ११ अगस्त २०१६ द्वारा शैक्षणिक सत्र २०१६—१७ में एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को 'तकनीकी संस्था' के रूप में अधिकृत किया गया है।

अतः उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र २०१६—१७ में उत्तर प्रदेश राज्य की एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की ८५ प्रतिशत सीटों पर आवंटन के संबंध में उ०प्र० राज्य के छात्रों का विवरण प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की वेबसाईट www.kgmu.org पर उपलब्ध लिंक NEET २०१६ पर छात्रों का पंजीकरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही दिनांक १६ अगस्त २०१६ से २८ अगस्त २०१६ तक किया जाना है।

NEET २०१६ की उत्तर प्रदेश राज्य की एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों हेतु अहताएं, आरक्षण तथा आरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के प्रारूप से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका (Brochure) भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि "मात्र ऐसे छात्र, जिन्होने NEET परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा निर्धारित उपरोक्त आनलाईन व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण किया हो, को ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माना जाएगा।" पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेब—साईट द्वारा छात्र को अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिण्ट आउट अनुमन्य होगा।


महानिदेशक